न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (20/19) 353/2019

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
1. रामकरण पुत्र पाबूराम जाति–जाट, निवासी–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.14/01/2019**

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 13/01/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–केकिन्दड़ा, पटवार हल्का– केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण जिला–पाली के स्थित है जिसके खसरा नंबर 136 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 684 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 686 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 688 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 696 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 732 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नंबर 846 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 07 रकबा 110 बीघा 04 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का 1/2 में से 1/3 वां यानि कुल का 1/6 हिस्सा है इसी माफिक वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस प्रकार से उपर वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसकी चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी को पैतृक पुश्तैनी है उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिताजी पाबूराम पुत्र बालूराम जी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 1343, 1344, 1345 पटवार हल्का केकिन्दड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली के जरिये वादी व उसके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम रामकरण की बजाय देवकरण नाम की गलत पृवष्टि कर दी व उसी के आधार पर चौसाला जमाबन्दी में भी रामकरण की बजाय देवकरण नाम का अंकन कर दिया। जो गलत है वादी का वास्तविक नाम रामकरण पुत्र पाबुराम है। वादी के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में वादी का नाम रामकरण पुत्र श्री पाबूराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में देवकरण के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाएं ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुकसान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी व उनके अधिनिस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होनें दिनांक 16.12.2018 को इस प्रकार की दुरूस्ती करने से इन्कार करते हुए न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम रामकरण पुत्र पाबूराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम देवकरण पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने, ऐसी घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत हैं वादी ने अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होंने दिनांक 16.12.2018 को ऐसी दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिसके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यह आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अदालत श्रीमान की अनुमति से पेश है। इस बाबत धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 16.12.2018 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम केकिन्दड़ा तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावे में व्यक्ति किया कि ग्राम–केकिन्दड़ा के खसरा नंबर 136, 684, 686, 688, 696, 732, 846, 609, 774, 778, 153 व 154 में वादी जिसने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में देवकरण दर्ज होना बताया सह खातेदार है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पूर्व में पाबुराम पुत्र बालुराम कौम–जाट जो सहखातेदार था, के नाम से दर्ज थी। पाबुराम पुत्र बालुराम की मृत्यु पश्चात उनके उतराधिकारियों द्वारा उप पंजीयन कार्यालय जैतारण में दिनांक 06.05.2008 को हकतर्कनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 1343, 1344, 1345 दर्ज किया गया। हकतर्कनामा में वादी स्वयं ने अपना नाम देवकरण पंजीबद्व करवाया है। उसी अनुरूप नामांतकरण दर्ज किया गया है। वादी स्वयं द्वारा अपने पंजीकृत दस्तावेज हकतर्कनामा में अपना नाम देवकरण बताया है तथा हकतर्क की गई भूमि देवकरण के नाम हस्तांतरित हुई है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण के समक्ष शुद्धिपत्र पेश किया कि ग्राम-केकिन्दड़ा के खसरा नंबर 136, 684, 686, 688, 696, 732, 846, 609, 774, 778, 153 व 154 में यदि लिपिकीय त्रुटि व भूल से लिखा द्वितीय पक्ष संख्या 01 का नाम देवकरण यथावत रहने से द्वितीय पक्ष को आर्थिक नुकसान होगा एवं कई कानूनी पैचीदगीया उत्पन्न होगी। इसलिए दस्तावेज में द्वितीय पक्ष संख्या 01 का नाम शुद्धि किया जाना अति आवश्यक है। मुझ प्रथम पक्ष ने आप द्वितीय पक्ष में एक हकतर्कनामा खातेदारी भूमि का दिनांक 06.05.2008 को तकमिल किया जिसका पंजीयन दिनांक 06.05.2008 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 59 पृष्ठ संख्या 200 क्रम संख्या 2008000951 पर पंजीबद्ध हुआ। उक्त दस्तावेज में पृष्ठ संख्या एक में छितीय पक्ष एक का नाम देवकरण पुत्र पाबुराम लिखा हुआ है जो लिपीकीय भूल व त्रुटि से गलत लिखा गया है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, जॉब कार्ड आदि सभी सरकारी/अद्धसरकारी दस्तावेजों में सही व वास्तविक नाम रामकरण पुत्र पाबुराम दर्ज है, इसलिए उक्त हकतर्कनामा में द्वितीय पक्ष संख्या 01 का नाम सही रामकरण लिखा जाना आवश्यक है। इस शुद्धि पत्र से मैं प्रथम पक्ष व मेरे सभी उत्तराधिकारी परिवार के सभी सदस्य पाबंद है कोई किसी प्रकार उजर ऐतराज आपत्ति नहीं करेंगे अगर करेंगे तो झूठे साबित होंगे।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम- केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण के खसरा नंबर 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 136 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 684 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 686 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 688 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 609 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 774 रकबा 14 बीघा 00 बिस्वा, खसरा नंबर 778 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 153 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा आराजी की खातेदार झमकुदेवी पत्नी स्व श्री पाबुराम एवं कमलादेवी पुत्री स्व. श्री पाबुराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हक-हिस्सा अपने पुत्र एवं भाई देवकरण एवं हरीराम पुत्रान श्री पाबुराम को जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा दिनांक 06.05.2008 द्वारा हस्तांतरित करने से एवं खातेदार पाबुराम के फौत हो जाने से वादग्रस्त आराजी जरिये नामांतरण संख्या 1343, 1344 एवं 1345 के देवकरण एवं हरिराम के नाम दर्ज की गई। जमावंदी संवत 2071-2074, ग्राम-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण के अनुसार वादग्रस्त आराजी के देवकरण एवं हरिराम बतौर खातेदार दर्ज है। वाद वादी एवं वादी के शपथ-पत्र के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम देवकरण न होकर रामकरण है। त्रुटिवश मेरा राम देवकरण दर्ज कर दिया गया है। पटवारी-केकिन्दड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में देवकरण दर्ज है, परन्तु वादी के अन्य पहचान दस्तावेज राशन-कार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय-पत्र आदि में वादी का नाम रामकरण पुत्र पाबुराम दर्ज है। मजमे आम की गई जांच के अनुसार रामकरण एवं देवकरण पुत्र पाबूराम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है, रामकरण पुत्र पाबुराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

है, अतः देवकरण के स्थान पर रामकरण पुत्र पाबुराम दर्ज किया जाना उचित रहेगा। उप पंजीयक, जैतारण द्वारा पंजीकृत शुद्धि पत्र दिनांक 16.12.2019 कमांक 201903224105226 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में दिनांक 06.05.2008 को कमांक 200800951 द्वारा किया गया वादग्रस्त आराजी का हक तर्कनामा जिसमें हकग्रहीता का नाम देवकरण पुत्र पाबुराम अंकित है के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि रामकरण पुत्र पाबुराम अंकित करवाते हुए शेष यथावत रखते हुए शुद्धि पत्र पंजीकृत करवाया गया है। इस प्रकार वादी के शपथ–पत्र, मजमे–आम में तैयार पटवारी केकिन्दड़ा की मौका रिपोर्ट, वादी के नाम जारी राशन–कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड एवं उप पंजीयक, जैतारण द्वारा पंजीकृत शुद्धि–पत्र के आधार पर स्पष्ट है कि देवकरण पुत्र पाबुराम एवं रामकरण पुत्र पाबुराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रामकरण पुत्र पाबुराम है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 136 रकबा 00–12 बीघा, खसरा संख्या 684 रकबा 21–02 बीघा, खसरा संख्या 686 रकबा 19–15 बीघा, खसरा संख्या 688 रकबा 10–06 बीघा, खसरा संख्या 696 रकबा 10–11 बीघा, खसरा संख्या 732 रकबा 17–11 बीघा एवं खसरा संख्या 846 रकबा 30–07 बीघा कुल खसरा 07 रकबा 110–04 बीघा आराजी का वादी रामकरण पुत्र पाबूराम जाति–जाटि, निवासी–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण को गलत प्रविष्टि ''देवकरण पुत्र पाबुराम'' के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त आराजियात की जमाबंदी में गलत प्रविष्टि ''देवकरण पुत्र पाबुराम'' को सही प्रविष्टि ''रामकरण पि. पाबुराम'' द्वारा प्रतिस्थापित करें, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी कदर पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि उक्त निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 13/01/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ भास्कर विश्नोई, आर0ए0एस0

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
1. रामकरण पुत्र पाबूराम जाति–जाट, निवासी–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट मु0न0 :(20/19) 353/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 136 रकबा 00–12 बीघा, खसरा संख्या 684 रकबा 21–02 बीघा, खसरा संख्या 686 रकबा 19–15 बीघा, खसरा संख्या 688 रकबा 10–06 बीघा, खसरा संख्या 696 रकबा 10–11 बीघा, खसरा संख्या 732 रकबा 17–11 बीघा एवं खसरा संख्या 846 रकबा 30–07 बीघा, कुल खसरा 07 रकबा 110–04 बीघा आराजी का वादी रामकरण पुत्र पाबूराम जाति–जाटि, निवासी–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण को गलत प्रविष्टि ''देवकरण पुत्र पाबुराम'' के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त आराजियात की जमाबंदी में गलत प्रविष्टि ''देवकरण पुत्र पाबुराम'' को सही प्रविष्टि ''रामकरण पि. पाबुराम'' द्वारा प्रतिस्थापित करें, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–... ...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	–00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	05	–00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.20 17:58:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: